न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : (69/17 ढाका), T.I 40/17

1 चन्द्रसिंह आत्मज स्व गजराज सिंह
2 भंवरसिंह आत्मज स्व गजराज सिंह
3 होमेन्द्र सिंह आत्मज स्व. गजराज सिंह
4 श्रीमती लाडकंवर पत्नी स्व. गजराज सिंह
जाति राजपूत, निवासीगण उम्मेदभवन, खेडली फाटक, कोटा
(प्रार्थीगण)

बनाम

1 दुर्गासिंह आत्मज केसरीसिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नं. डी–14, हरिनगर, देवली अरब रोड, बोरखेडा, कोटा
2 कल्याण सिंह आत्मज दुर्गासिंह, जाति राजपूत, निवासी ए–207, जयहिन्द नगर–प्रथम, पुलिस लाईन, कोटा
3 देवेन्द्र सिंह आत्मज दुर्गासिंह, जाति राजपूत, निवासी म. नं. 600, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा
4 चन्द्रभान सिंह आत्मज महेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी मकान नं. डी–14, हरिनगर, देवली अरब रोड, बोरखेडा, कोटा
5 जुझार सिंह आत्मज लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
6 भंवर सिंह आत्मज लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
7 मदनसिंह आत्मज लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 21.06.2019

उपस्थिति : श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक वादी
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1, 2, 4
श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 5
श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 6, 7

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि –
प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण मूल रूप से ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के कदीमी निवासी है तथा वर्तमान में वाद में वर्णित पतों पर निवास करते है तथा रिश्तेदार है। प्रार्थीगण के दादाजी स्व. केशरीसिंह एवं प्रतिपक्षी संख्या 6 व 7 के पिता है एवं लक्ष्मण सिंह जी आपस में सगे भाई थे। स्व. केशरीसिंह जी एवं स्व. लक्ष्मण सिंह जी के पिता दौलतसिंह जी थे। श्री दौलतसिंह जी पदमपुरा के निवासी थे। उनके परिवार की पुश्तैनी आराजी उनकी मृत्यु उपरान्त स्व. केशरी सिंह एवं स्व. लक्ष्मण सिंह के नाम संयुक्त रूप से कई गावों में स्थित

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

है। उक्त आराजीयात तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के ग्राम कोथला के खसरा नम्बर 167, 168, 236, 237, 238, 241, 249, 255, 256 तथा ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 8, 9, 12, 13, 14, 314 स्थित है जिसमें सम्बन्धितों का हिस्सा दर्ज है। दौलत सिंह जी की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा केशरीसिंह एवं लक्ष्मण सिंह के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई तथा ये मीट्स एवं बाउण्ड्स से दोनों गावों की आराजी का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हुये। उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण उसी अनुरूप काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के दादा केशरीसिंह संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान थे। उनको हिस्से में प्राप्त हुई दोनों गावों की पुश्तैनी आराजी की आय से उन्होने अपने जीवनकाल में ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित साबिक खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार किशनसिंह वल्द भंवरसिंह कौम राजपूत से उक्त आराजी क्रय कर आराजी के विक्रस का पंजीयन सीधे ही प्रतिपक्षी नं. 1 के नाम करवा दिया जो आराजी नामान्तरण संख्या 19 संवत 2025 से 2028 में प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार उपराकत खरीदशुदा आराजी प्रार्थीगण के दादाजी द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा होने से पुश्तैनी आराजी है, जो प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी गई थी। प्रार्थीगण के दादाजी द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों पुत्रों प्रतिपक्षी सं. 1, 5 व प्रार्थीगण के पिता गजराज सिंह के ग्राम पदमपुरा एवं ग्राम कोथला की आराजी का बंटवारा कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता के लगभग 16.5 बीघा लगभग आराजी हिस्से में आई। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण की बहनों द्वारा प्रार्थीगण के हक में हकत्याग करने से प्रार्थीगण के पिता के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त विभाजन के अनुसार प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी सं. 1 व 5 मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से उक्त मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त हुये तथा वर्तमान में भी उसी अनुरूप काबिज काश्त है। ग्राम कोथला के खसरा नम्बर 167, 168 रकबा 0.64 हैक्टर ओराजी पूर्व में प्रार्थीगण की दादीजी जडावबाई उर्फ राजकंवर बेवा केसरीसिंह के हिस्से में मौखिक विभाजन से प्राप्त हुई थी, जो उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण के पिता व प्रतिपक्षी सं. 1 व 5 को प्राप्त हुई। प्रार्थीगण की दादीजी शुरू से ही प्रार्थी संख्या 1 के साथ रही। प्रार्थी सं. 1 ने ही उनकी देखभाल एवं सेवा सुश्रुषा की तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण क्रियाकर्म भी प्रार्थी सं. 1 ने अपने खर्चे से किया, जिसकी एवज में प्रार्थीगण के पिता एवं प्रतिपक्षी सं. 1 व 5 ने उक्त आराजी को आपसी सहमति से जरिये रीलिजडीड दिनांक 10.10.95 से प्रार्थी क्रम 1 को रीलिज कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसको प्रार्थी सं. 1 अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। ग्राम कोथला व ग्राम पदमपुरा की प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी सं. 1 व 5 को मौखिक विभाजन में प्राप्त आराजी के अतिरिक्त शेष आराजी प्रतिपक्षी सं. 6 व 7 को मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से मौखिक बंटवारे के अनुसार उनके हिस्से में आई। प्रतिपक्षी संख्या 1 यदि अपने अवैध कृत्यों में सफल हो गये तो प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र पेश करना निरर्थक हो जावेगा, प्रार्थीगण को अनेकों विवादों में उलझना पडेगा, प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्ट्या है एवं सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमायी जावे कि वाके ग्राम कोथला की आराजी खसरा नम्बर 167, 168, 236, 237, 238, 241, 249, 255, 256 तथा ग्राम पदमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 12, 13, 14, 314 को प्रतिपक्षी संख्या 1 किसी भी प्रकार से रहन, बैय, विक्रय, दान, वसीयत, हिब्बा एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा उक्त आराजी को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे तथा प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण के उक्त आराजी में शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत एवं मजाहमत नहीं करे। प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल नहीं करे, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

T.I.Chandrasingh.Durgasingh

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

ACM (HQ), Kota

Scanned by CamScanner

3- अप्रार्थी क्रम 1, 2, 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के दादा केसरीसिंह संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान होना, उनको हिस्से में प्राप्त हुई दोनों गावों की आराजी की आय से ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा में स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार किशन सिंह से उक्त आराजी क्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन सीघे प्रतिपक्षी नम्बर 1 के नाम करवाना स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा होना व पुश्तैनी होना बलपूर्वक अस्वीकार है। उक्त आराजी प्रतिपक्षी नं. 1 दुर्गासिंह पुत्र केसरीसिंह ने स्वयं की आय से किशन सिंह जी को प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की थी जिसका विधिवत विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 20.05.70 को उपपंजीयक कोटा में किया गया। प्रार्थीगण की दादी जडावत बाई और राजकंवर प्रार्थी संख्या 1 के साथ रहना, प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही इसकी देखभाल व सेवा करना व उनकी मृत्योपरान्त सम्पूर्ण क्रियाकर्म प्रार्थी द्वारा अपने खर्चे पर करना, जिसकी एवज में प्रार्थीगण के पिता व प्रतिपक्षी नं. 1 व 5 ने उक्त वर्णित आराजी आपसी सहमति से जरिये रिलीज डीड दिनांक 10.10.95 से प्रार्थी संख्या 1 को रिलीज कर कब्जा सुपुर्द करना तथा उक्त दस्तावेज पर सहमति बाबत हस्ताक्षर कर प्रार्थी संख्या 1 को काबिज कर देना व प्रार्थी संख्या 1 ही काबिज काश्त होना व प्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी अपने खाते दर्ज करने का अधिकारी होना स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं. 1 ने कभी भी उक्त तथाकथित रिलीज डीड आलेखित कर अपने हक व अधिकार प्रार्थी नम्बर 1 के पक्ष में हक त्याग नहीं किये है तथाकथित रिलीज डीड पूर्णतः झूंठी है। प्रतिपक्षी नं. 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.92 हैक्टर का दान पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाना स्वीकार है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के सभी कथनों को अप्रार्थी क्रम 1, 2, 4 द्वारा अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है, ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। कानूनन सह काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर निराधार तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थीना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी नम्बर 1, 2, 4 खारिज फरमाया जावे। प्रतिपक्षी क्रम 6 व 7 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि पक्षकारों के पूर्वजों द्वारा करीब 59–60 वर्ष पूर्व आपसी सहमति एवं रजामन्दी से सम्पूर्ण कृषि भूमि का विभाजन कर दिया था और उक्त विभाजन के अनुसार सभी पक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज हो गये तथा निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी भी संयुक्त खाते में दर्ज है। पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार भूमि पृथक की जाकर कब्जे एवं पूर्व के विभाजन के अनुसार पृथक पृथक खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिपक्षीगण नं. 6 व 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। प्रतिपक्षी क्रम 5 ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में परिवार का सजरा अंकित किया गया है वह अपूर्ण है। ग्राम पदमपुरा के खसरा नम्बर 5 की 4 4 बीघा 13 बिस्वा का दुर्गासिंह के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन करवाना एवं उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षी नं. 1 के नाम दर्ज करवाना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिपक्षीगण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जबकि उक्त आराजी संयुक्त आराजी है जिसका विधिवत विभाजन होना तथा मूल वाद के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

निस्तारण तक प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णय की नजीर RRT 2004 (1) Page 590-593 पेश की गई। प्रतिपक्षीगण के अभिभाषकगणों द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1, 2, 4 के अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालय के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गई :–

1. RRD 1988, Page 316-320.
2. RRD 1979, Page 373-375.
3. RRD 1969, Page 478-479.
4. RRD 1998, Page 79-80.
5. RRD 1997, Page 30-32.
6. RBJ 2006, page 21-24.

अप्रार्थी क्रम 5 के अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालय के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गई :–

1. RBJ (9) 2002, Page 130-132.
2. RRT 2016(1), Page 1-6.
3. RRT 2016 (1), Page 113-117.
4. RRD 14-07-2008, Page 474-478.
5. 2018(3) DNJ (Raj.), Page 946-962.

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त आराजी है जिसके सभी पक्षकार सहखातेदार है।

ज्ञातव्य है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामने में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि प्रार्थीगण के साथ ही अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी के सहखातेदार है तथा कब्जा काश्त है। संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त काश्त की आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना न्यायोचित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष होना बताना पडेगा। प्रस्तुत प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है जबकि विवादित आराजी पर उभयपक्षकारान काबिज काश्त है। साथ ही अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त सामस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के केस प्रथम दृष्ट्या नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने व प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

अपूरणीय क्षति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूलवाद हो।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21 जून, 2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरोज ढाका) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

Scanned by CamScanner